



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-06072021-228130
CG-DL-E-06072021-228130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275।
No. 275।

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/आषाढ़ 14, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

[भारतीय उपचर्या परिषद् [बी.एसरी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए रांशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम], विनियम, 2020]

फा.सं. 11-1/2019-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा :—

लघु शीर्षक और प्रवर्तन

i. ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् [बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम], विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

ii. ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

i. 'अधिनियम' का अभिप्राय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है;

ii. 'परिषद्' का अभिप्राय 1947 के अधिनियम के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् से है;

iii. 'एसएनआरसी' का अभिप्राय संवंधित राज्य सरकारों द्वारा किसी भी नाम से गठित तथा बोली जाने वाली राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् से है;

iv. 'बी.एसरी. (नर्सिंग)' का अभिप्राय परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकृत तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल 4-वर्षीय बी.एसरी. (नर्सिंग) रनातक प्रशिक्षण से है;

v. 'प्राधिकरण' का अभिप्राय बी.एसरी. (नर्सिंग) उपाधि प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त तथा अधिनियम की अनुसूची के भाग-II में शामिल एक विश्वविद्यालय या निकाय से है, जो किसी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया हो;

vi. 'रकूल ऑफ नर्सिंग' का अभिप्राय जीएनएम पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान है;

प्रवेश हेतु नियम और शर्तें

1. प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष के 31 दिसंबर को 17 वर्ष होगी। प्रवेश के लिए अधिकतम आयु रीमा 35 वर्ष होगी।
2. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
 - अ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 12वीं (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में मिलाकर कम रो कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और अंग्रेजी में अलग रो उत्तीर्ण हों।
 - ब) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य मुक्त विद्यालय और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनआईओएस) रो केवल विज्ञान वर्ग और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
 - स) बी.एससी. (नरिंग) में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए 10+2 में अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।
3. कलर ब्लाइंड (रंगांध) अभ्यर्थी पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा रंग—सुधारात्मक कंटेक्ट लेंस और चश्मा पहने जाएं।
4. अभ्यर्थी को पूरी तरह से रखरख होना चाहिए।
5. विवाहित अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
6. छात्रों को प्रविष्टि एक वर्ष में केवल एक बार ही की जाएगी।
7. अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त वरीयता के आधार पर होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा** में निम्नलिखित विषय होंगे:

क) नर्सिंग अभिक्षमता	20 अंक
ख) भौतिक विज्ञान	20 अंक
ग) रसायन विज्ञान	20 अंक
घ) जीव विज्ञान	20 अंक
ड) अंग्रेजी	20 अंक

प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

**प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।

8. आरक्षण नीति

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/दिव्यांगजन के लिए नर्सिंग कॉलेजों में सीटों का आरक्षण

आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश संबंधित कॉलेज के लिए लागू केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण नीति और पात्रता मानदंडों के अधीन होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 मुख्य विषयों में न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होंगे, न कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत।
- दिव्यांगता के लिए आरक्षण

लोकोमोटर में अधः शाखा की 40 से 50 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगी और योग्यता से संबंधित अन्य पात्रता मानदंड वही होंगे जो कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

नोट: राज्य सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी और एक नर्सिंग विशेषज्ञ वाली एक समिति का गठन किया जाए जो यह तय करेगी कि अभ्यर्थियों को लोकोमोटर की 40 से 50 प्रतिशत तक की विकलांगता है या नहीं।

नोट:

1. आरक्षण सीटों की स्थीरूप संख्या के भीतर लागू होगा।
2. सत्र की शुरुआत हर वर्ष 1 अगस्त से होगी।
3. निर्दिष्ट तिथि यानी 30 सितम्बर के बाद कोई प्रवेश नहीं लिया जाएगा। और 30 सितम्बर के बाद प्रविष्ट अभ्यर्थियों को हॉल टिकट/प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।
4. प्रवेश के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने और सत्यापित करने की जिम्मेदारी संरक्षण और विश्वविद्यालय की होगी।

9. विदेशी नागरिक

प्रवेश योग्यता यानी, 12वीं कक्षा की समकक्षता एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाएगी। संस्थान, एसएनआरसी और विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि योग्यता और पात्रता परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुरूप है।

10. प्रवेश/चयन समिति

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- प्रधानाचार्य (अध्यक्ष)
- उप-प्रधानाचार्य
- प्रोफेसर

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 मई 2019 — वैशाख 17, शक 1941

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.— राज्य शासन, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (मैनेजमेंट) नियतांश की सीटें में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 कहलाएंगे।
- (2) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जायेगा।
- (3) यह नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिमाणाये— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

- (क) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (ख) “श्रेणी” से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक; अर्थात् – ‘अनुसूचित जाति’, ‘अनुसूचित जनजाति’, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)’ तथा ‘अनारक्षित’;
- (ग) “संवर्ग” से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दिव्यांग;
- (घ) “बिना संवर्ग” से अभिप्रेत है जो किसी भी संवर्ग के अंतर्गत न हो;
- (ड) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
- (च) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़;

- (छ) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है राज्य शासन के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में रिथत नर्सिंग महाविद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति रत्नारथ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्धता प्राप्त हो;
- (ज) “विद्यालय” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में रिथत जनरल नर्सिंग विद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त नर्सिंग कौंसिल से परीक्षा हेतु सम्बद्धता प्राप्त की हो;
- (झ) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वारथ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़;
- (झ) “शासकीय अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय” से अभिप्रेत है ऐसा निजी नर्सिंग महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल संपत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा अन्य शासकीय संपत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता आदि के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- (ट) “अल्पसंख्यक संस्था” से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तों के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो, जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो;
- (ठ) “दिव्यांगजन” संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा रथायी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द), (ध) एवं (न) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण – अनुसूची –चार);
- (ड) “मंडल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर;
- (ढ) ‘मूल निवासी’ से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो;
- (ण) “परिषद” से अभिप्रेत है नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली अथवा छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग कौंसिल;
- (त) “आयुक्त” से अभिप्रेत है आयुक्त, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़;
- (थ) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है राज्य शासन के लोक स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित अथवा तदर्थ अथवा संविदा रूप से पदस्थ कार्यरत महिला बहुउद्देशीय स्वारथ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) अथवा स्टाफ नर्स जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा नियमानुसार संबंधित संचालनालय से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति/अनापत्ति प्राप्त हो;
- (द) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है नर्सिंग के पाठ्यक्रम जी.एन.एम./बी.एस.सी. (नर्सिंग)/ बी.एस.सी. (पोर्ट बेसिक नर्सिंग)/ एम.एस.सी. (नर्सिंग) एवं पोर्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी नर्सिंग;
- (ध) “अग्रेषण प्राधिकारी” से अभिप्रेत है स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे सेवारत अभ्यर्थी के लिए क्रमशः संचालक, स्वारथ्य सेवाएँ अथवा संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़।

3. सामान्य.—

- (एक) नर्सिंग के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा, आवंटन, प्रवेश, भारतीय नर्सिंग परिषद/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार कॉलेज की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे;
- (दो) नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश की तिथि से भारतीय नर्सिंग परिषद/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को निजी व्यवसाय अंशकालिक अथवा अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं रहेगी;

- (तीन) अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे;
- (चार) सीट के आवंटन के समय अथवा दस्तावेजों की जांच के समय अथवा उसके प्रवेश के पूर्व या बाद के किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदन फार्म भरते एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थी ने किसी प्रकार के संबंधित तथ्यों को छुपाया है और/अथवा गलत जानकारी दी है, तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय वर्तमान में यथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत उनके प्रवेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा;
- (पांच) प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा;
- (छ:) शासन द्वारा समय—समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।
4. पात्रता:- केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी जो,—
- (एक) भारत का नागरिक हो;
- (दो) छत्तीसगढ़ राज्य का “मूल निवासी” हो, किन्तु निजी नर्सिंग महाविद्यालय की ओपन (प्रबंधन नियतांश) अनारक्षित श्रेणी की सीटों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे तथा उनकी एवं मूल निवासी अभ्यर्थियों की एकीकृत, ब्यउउवदद्ध प्रावीण्य सूची रहेगी।
- (तीन) आयु सीमा :-
- (अ) न्यूनतम आयु—ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- (ब) अधिकतम आयु—बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./एक वर्षीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी/एम.एस.सी. के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।
- (स) सेवारत अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।
- नोट:- आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।
- स्पष्टीकरण :- 1. इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा सेवारत अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।
 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
 3. आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से दसवीं या बारहवीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- (चार) नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :-
 (भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद के समय—समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होंगे।)

(अ) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें:-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	परीक्षा एजेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बी.एस.सी. (पोर्ट बेसिक) नियमित	जनरल नर्सिंग मिडवायफरी उत्तीर्ण, राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीयन	2 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा।
2	पोर्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी	पंजीकृत नर्स (जी.एन.एम. या बी. एस.सी.)	1 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कौउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी बी. एस.सी. नर्सिंग/जीएन.एम. प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा जिसमें बी.एस. सी. नर्सिंग को प्राथमिकता दी जायेगी।
3	बी.एस.सी. (बेसिक)	परीक्षा (10+2) बारहवीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान तीनों विषयों को जोड़कर न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण)	4 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा/संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
4	एम.एस.सी.	(1) न्यूनतम 55 प्रतिशत एग्रीगेट अंकों के साथ बी.एस.सी.नर्सिंग/बी. एस.सी. ऑनर्स नर्सिंग/पोर्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 5 प्रतिशत शिथिलनीय) (2) बेसिक बी.एस.सी.उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोर्ट बेसिक बी. एस.सी. नर्सिंग के पूर्व अथवा पश्चात 1 वर्ष का अनुभव	2 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(व) संचालनालय रखारथ्य सेवायें द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	चयन का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी	बारहवीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के उम्मीदवारों के लिये 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण	3 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रवेश हेतु चयन बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों की प्रावीण्यता एवं जीवविज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रावीण्यता प्रथमतः कुल प्राप्तांक यदि समान प्राप्तांक है तो बारहवीं के जीवविज्ञान के अधिकतम अंक प्रावीण्यता निर्धारित करेंगे। दोनों समान होने पर वरिष्ठ आयु को प्राथमिकता दी जायेगी।

शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जायेगा, जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सभी सीटें (सेवारत अभ्यर्थी आरक्षित तथा अन्य सीटें) भर जायेगी।

(पांच) सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता :-

नियम 4 (चार) (अ) एवं नियम 4 (चार) (ब) में उल्लेखित पात्रता शर्तों के होते हुए -

1. केवल वे सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की है।
2. ऐसे सेवारत अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध कोई आपाराधिक अभियोजन लम्बित है अथवा जो निलंबित हैं अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच लम्बित है अथवा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. यदि किसी सेवारत अभ्यर्थी को पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया गया हो, तो परवर्ती वर्षों में प्रवेश हेतु वे पात्र नहीं होंगे।
4. सेवारत अभ्यर्थीगण, संबंधित विभाग के अग्रेषण अधिकारी से नियमानुसार सेवारत अभ्यर्थी की पात्रता हेतु अनुमति रखयं प्राप्त करेंगे तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के भाग स्कूटनी में वांछित अनुमति होने पर ही पात्र होंगे। अनुमति प्राप्त कर स्कूटनी में प्रस्तुत किया जाना, पूर्णतः अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

(छ:) प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूची.-

प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होंगे तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा। प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत परीक्षा संस्था योग्यता क्रम सूचियां (मेरिट लिस्ट) श्रेणी अनुसार निर्मित की जायेगी।

(सात) ऐसे निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय, जो कि केन्द्र शासन के द्वारा अल्पसंख्यक संरथान के रूप में संचालित तथा मान्यता प्राप्त हैं। इन नियमों के अंतर्गत प्रावधानिक आरक्षण के अतिरिक्त संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अतिरिक्त आरक्षण निर्धारित किया जा सकेगा, परंतु इस हेतु संबंधित

संस्था को प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल के पूर्व, यथास्थिति, भारत सरकार अथवा राज्य शासन से जारी प्रमाण पत्रों सहित आवेदन, संचालक को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी संस्थायें, जिन्हें केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान प्रमाण पत्र जारी किए गये हैं, केवल वे ही पात्र होंगे।

- (आठ) इस नियम के किन्हीं प्रावधानों के होते हुए यदि किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का प्रवेश इन नियमों के प्रावधान का उल्लंघन है, तो ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश को संचालक द्वारा निररत किया जा सकेगा।

5. सभी पाठ्यक्रम के आरक्षण एवं सीटों का निर्धारण .— सीटों का आरक्षण एवं निर्धारण निम्नानुसार होगा।—

- (एक) समस्त शासकीय रीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की रीटें इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएंगी। कोई भी निजी संस्था सीधे रवयं के रूपर पर प्रवेश नहीं ले सकेगी। समस्त प्रवेश हेतु आवंटन के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति ही अधिकृत होगी। काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आवंटन के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश अवैध होगा।
- (दो) समस्त शासकीय रीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में केवल मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता (मेरिट) के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रबंधन नियतांश (ओपन) सीट की आरक्षित श्रेणी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण—पत्र होने पर ही पात्र होंगे तथा अनारक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रावीण्यतानुसार आवंटन प्राप्त कर सकेंगे।
- (तीन) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय संस्थाओं की जी.एन.एम./बी.एस.सी./बी.एस.टी. (पोस्ट बेसिक)/पोस्ट बेसिक डिप्लोमा की उपलब्ध सीटों में 20 प्रतिशत सीटें एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की एम०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में 50 प्रतिशत सीट, सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जो निम्न प्रकार से पात्रता एवं आवंटित की जाएंगी,—
- (अ) शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा, जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/विद्यालयों की सीटें भर जाएंगी। अर्थात् सेवारत अभ्यर्थी सभी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प अपनी प्राथमिकतानुसार चयन करने के उपरांत ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प भर सकेंगे।
- (ब) यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी शासकीय संस्था में आवंटन प्राप्त करता है तथा प्रवेश नहीं लेता है, तो वह पूरे सत्र हेतु अपात्र हो जायेगा। अर्थात् उस सत्र की प्रवेश प्रक्रिया में समिलित नहीं हो सकेगा।
- (स) यदि संबंधित विभाग से वांछित अनुमति के अभाव में, उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (ब) के अनुसार प्रवेश नहीं लेने के कारण अपात्र हो गये हैं, तो संचालक चिकित्सा शिक्षा को आवेदन कर, अनुमति प्राप्त कर मापाप राउण्ड में, केवल शासकीय महाविद्यालय/विद्यालय की सीटों हेतु ही पात्र एवं समिलित हो सकेंगे, अर्थात् निजी महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिये अपात्र होंगे।
- (चार) नर्सिंग के स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य के समस्त शासकीय संस्थाओं की सीटों में 50 प्रतिशत सीट सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी।
- (पांच) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की समस्त सीटें एवं ऐसे निजी महाविद्यालय/विद्यालय, जो कि केवल महिला महाविद्यालय/विद्यालय हैं, उनकी सीटों में केवल महिला अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
- (छ.) निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत सीटें “शासकीय नियतांश” की एवं शेष 60 प्रतिशत सीटें “ओपन सीटें” (प्रबंधन सीटें) होंगी। अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में यह 70 प्रतिशत “ओपन सीटें” (प्रबंधन सीटें) तथा शेष 30 प्रतिशत शासकीय नियतांश की सीटें होंगी। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय दिल्ली के WP(Civil) No. 267/2017 DAR-US-SLAM Educationl trust and others Vs Medical Council of India and others के अनुसार अल्प संख्यक संरथा के 70 प्रतिशत ओपन (प्रवंधन सीट) में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के आपरी प्रावीण्यतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा तथा शासकीय नियतांश की 30 प्रतिशत सीटों में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि वर्णित सीटों में कोई आरक्षण लागू नहीं होने के कारण (छ0ग0 शासन के आरक्षण अधिनियम, 2012) सीटों के परिवर्तन के कोई नियम इसमें लागू नहीं होंगे। अर्थात् सीटें अपरिवर्तनीय होंगी।

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय सहित, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की शासकीय नियतांश एवं ओपन सीटों में संस्थावार अर्थात् प्रत्येक संरथा में पृथक—पृथक राज्य में लागू आरक्षण नियम प्रतिशत श्रेणीवार (अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत) एवं प्रत्येक श्रेणी में संवर्गवार (महिला 30 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 03 प्रतिशत, सैनिक संवर्ग 03 प्रतिशत एवं विकलांग 05 प्रतिशत) क्षेत्रिज आरक्षण लागू होगा तथा एम.एस.सी. नर्सिंग में विभिन्न विषय होने के कारण आरक्षण हेतु सीटों का निर्धारण लॉटरी (Lottery) से किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त आरक्षण में केवल महिला महाविद्यालय/विद्यालय में श्रेणीवार पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रतिशत, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय—समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा। यह आरक्षण नियम सभी शासकीय नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों के शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रवंधन) नियतांश की सीटों के लिए लागू होंगे।

(सात) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी होने का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग की स्कूटनी के समय छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, तदुउपरांत ही वे आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

(आठ) पाद्यकम की उपलब्ध सीटों में संस्थावार अर्थात् प्रत्येक संरथा में, सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 03 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 03 प्रतिशत, विकलांग संवर्ग हेतु 05 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग 30 प्रतिशत आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) लागू होगा।

(नौ) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किसी सीट के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के समय आवंटन से पूर्व स्क्रूटनी में राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की रिस्ति में, उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(नोट:- केवल राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र काउंसिलिंग में मान्य नहीं किये जायेंगे। राज्य मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष आवेदक द्वारा जिला अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)

स्पष्टीकरण :- (1) सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/पुत्री को ही मिलेगा।

स्पष्टीकरण :- (2) सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों, के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे छत्तीसगढ़ में विरक्षापित भूतपूर्व सैनिक से पुत्र/पुत्री हैं। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने संबंधी प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विरक्षापित होने संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह छत्तीसगढ़ में अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने माता पिता के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कराना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी :- सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण :- (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री एवं पौत्र/पौत्री (दादा—दादी अथवा नाना—नानी से संबंध होने पर) को ही मिलेगा। (माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के याचिका क्रमांक 3174/2004, डॉ. घनाराम बनाम छत्तीसगढ़ शासन और अन्य के परिप्रेक्ष्य में)।

स्पष्टीकरण :- (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिनका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है। इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होंगे।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है, जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टोरेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत हैं, परन्तु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नि/पति एवं उसकी पुत्र एवं पुत्री को ही दिया जाएगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी अथवा नाना/नानी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत हैं।

स्पष्टीकरण :- (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को, संबंधित जिले के कलेक्टोरेट से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

स्पष्टीकरण:- (6) शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण,—शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में पांच प्रतिशत (5::) आरक्षण है। यह क्षैतिज (हॉरिजान्टल) आरक्षण है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द) (ध) एवं (न) के अधीन परिभाषित विनियमों के अनुसार लागू होगा—

1. सबसे पहले रीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित अशक्तता वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में, इस प्रकार के नहीं भरे गए सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा।
2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द) (ध) एवं (न) के अधीन परिभाषित प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्तताएँ (दिव्यांगताएँ) पात्र नहीं हैं :—

- 1) उपरी अंग दिव्यांगता
 - 2) दृष्टिबाधित दिव्यांगता
 - 3) बधिरीय दिव्यांगता
 - 4) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता
 - 5) कौंसिलिंग के समय तीन (3) माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाणपत्र।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) के अनुसार सभी शर्तें लागू होंगी।

6. चयन प्रक्रिया .—

(एक) समस्त शासकीय रीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की वी. एस. सी./पोर्ट वेसिक वी. एस. सी./एम. एस. सी. नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की रीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संरथा द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी।

जीएनएम का प्रवेश बारहवीं कक्षा के प्राप्तांक (बायलॉजी युप ,च्छद्व को प्राथमिकता) की प्रावीण्यतानुसार किया जायेगा एवं पोर्ट वेसिक डिप्लोमा इन विलनिकल स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों का प्रवेश वी. एस. सी. एवं जी. एन. एम. के प्राप्तांकों की प्रावीण्यतानुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी, जिसमें वी एस सी नर्सिंग को प्राथमिकता दी जायेगी।

(दो) समस्त शासकीय महाविद्यालय की सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की एमएससी नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए विश्वविद्यालय अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संरथा द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा उक्त परीक्षा के प्राप्तांक के प्रावीण्यतानुसार आवंटन किया जायेगा।

(तीन) समस्त शासकीय विद्यालय की सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय की जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जीएनएम) प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन मेरिट के आधार पर संचालनालय विकित्सा शिक्षा अथवा निर्धारित एजेंसी द्वारा की जायेगी। जी.एन.एम.पाठ्यक्रम में प्रवेश बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों (बायलॉजी युप (PCB) को प्राथमिकता) को मेरिट कम के आधार पर किया जायेगा।

7. परीक्षाये.—

- (एक) वी.एस.सी./ पोर्ट वेसिक वी.एस.सी. नियमित हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी।
एम.एस.सी. हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी।
- (दो) प्रवेश परीक्षा :—
प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में केवल एक प्रश्न—पत्र होगा।

8. परीक्षा परिणाम की घोषणा.—

- (एक) परीक्षाफल की घोषणा :— मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संरथा द्वारा परीक्षा का आयोजन और उत्तर पुस्तकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।

योग्य उम्मीदवार को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट का आवंटन काउंसिलिंग द्वारा प्रावीण्यता (मेरिट) तथा विकल्प के आधार पर किया जायेगा।

- (दो) प्रावीण्य सूची.—

(अ) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं बाहर राज्य के अभ्यर्थियों की प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी।

(ब) सेवारत अभ्यर्थियों की श्रेणीवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) पृथक से मेरिट लिस्ट की घोषणा मण्डल/राज्य शासन के अधिकृत संरथा द्वारा की जाएगी।

(स) सभी श्रेणियों के लिए एकीकृत प्रावीण्य (मेरिट) सूची तथा श्रेणीवार (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों) पृथक—पृथक प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी, जिसमें रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, संवर्ग, अल्परान्त्यक रिधि, आवेदक का मोबाइल नंबर तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक अंकित किए जाएंगे।

(द) समान अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :— जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी, उसे प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।

9. **काउंसिलिंग प्रक्रिया**— राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीटें, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटें के नर्सिंग पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियमानुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों का संचालनालय द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग किया जायेगा —

(एक) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, ऑनलाइन आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता या अन्य कोई भी जानकारी जैसे : मूल निवासी, श्रेणी, संवर्ग, सीटों का प्रकार, महाविद्यालय/विद्यालय चयन (option) इत्यादि अपरिवर्तनीय होंगे। अतः विशेषकर अपनी श्रेणी, संवर्ग चयन करने के पूर्व अपने वांछित प्रारूप में वांछित समयावधि के प्रमाण पत्र का निरीक्षण अवश्य कर लें।

संचालनालय द्वारा दो चरणों में ऑनलाइन काउंसिलिंग/ऑफलाइन काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय—सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी।

(दो) आनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आवंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया समिलित होंगी।

(तीन) ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रूपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रूपये 500/- (रु. पांच सौ मात्र) संचालक, चिकित्सा शिक्षा को देय होगी। यदि राज्य के ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क रु. 1000/- जमा कर संशोधन कर सकेंगे। किन्तु निर्धारित समयावधि उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि निर्धारित समयावधि में संशोधन शुल्क जमा कर आवेदक ही परिवर्तन कर सकेंगे।

(चार) ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया, मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर, पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि इन पंजीकृत आवेदकों के काउंसिलिंग प्रक्रिया में समिलित होने के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो संचालक के निर्णयानुसार नया पंजीयन कराया जा सकेगा। किन्तु इस चरण तक आरक्षण नियमानुसार सभी सीटें परिवर्तित हो चुकी होंगी, अर्थात् सभी शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी की ही, उपलब्ध होंगी।

(पांच) ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर, काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक, जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होंगे, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयंमेव अपात्र हो जायेंगे।

(छ:) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय—सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी, उपलब्ध समर्त महाविद्यालयों/विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे।

नोट :— अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डालें क्योंकि नये विकल्प भरने का अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा सेवारत अभ्यर्थी को सर्वप्रथम सभी उपलब्ध शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प देना होगा तत्पश्चात ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प दे सकेंगे।

(सात) एक बार अंतिम हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु यदि काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने पूर्व घोषित संस्था के अतिरिक्त अन्य नई संस्था महाविद्यालय/विद्यालय जो कि पूर्व में प्रदर्शित नहीं थे, पंजीयन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होते हैं, तो प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा, जिस हेतु संशोधन शुल्क लागू नहीं होगा। इस हेतु पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की पात्रता होगी, किन्तु नया आवेदन और पंजीयन नहीं किया जायेगा।

(आठ) प्रावीण्य सूची के अनुसार महाविद्यालय/विद्यालय का आवंटन किया जायेगा। जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार निर्धारित समयावधि में संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट अवलोकन करें। इस प्रक्रिया में जानकारी लेने में असफल होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

(नौ) आवंटन होने के पश्चात्, अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में आवंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक रखयं उपरित्त होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आवंटन पश्चात् संस्था में संवीक्षा हेतु उपरित्त न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया रो रखमेव बाहर हो जायेगा।

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा अपितु, सभी आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है। तथापि आवंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश न होने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आवंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे, जबकि आवंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के अतिरिक्त आवंटित निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय तथा संवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी, बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसिलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे।

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट, अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

(दस) वे अभ्यर्थी, जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें वेबसाइट से आवंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आवंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी के पास काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समर्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;

(ग्यारह) :-(1) महाविद्यालय/विद्यालय के द्वारा काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आवंटन उपरांत, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा कराई जायेगी, जिसमें पात्र अभ्यर्थी ही प्रवेश योग्य होंगे तथा संवीक्षा करने वाले महाविद्यालय/विद्यालय दस्तावेजों की न्यूनता में, यदि अपात्र अभ्यर्थी को पात्र कर, प्रवेश देते हैं, तो विश्वविद्यालय/परिषद पंजीयन/नामांकन हेतु अथवा न्यायालयीन प्रकरण हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस कार्यालय का इस प्रकार के अवैध संवीक्षा एवं अवैध प्रवेश से कोई संबंध नहीं होगा।

- (2) दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (3) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल अर्थात् अपात्र हो जाते हैं, तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (4) समर्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा एतदद्वारा आवंटित महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना होगा।
- (5) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/विद्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम चरण काउंसिलिंग द्वारा आवंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शासकीय संस्था हेतु शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था

द्वारा नवीन आबंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी तथा नियमतः प्रोसेसिंग फीस शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी।

काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय/विद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र, जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आबंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आबंटित की जाती है, तत्क्षण ही उसकी प्रथम काउंसिलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रावीण्यतानुसार अगले अभ्यर्थी को आबंटित कर दी जाती है, अतः पूर्व में प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते हैं।

शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसिलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है, तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) वे रूप में शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि काटकर, शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी, किन्तु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीट का परित्याग करने पर, आगामी प्रवेश प्रक्रिया हेतु वे अपात्र होंगे।

(बारह):—द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ३०नलाईन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी, जिसमें प्रथम काउंसिलिंग आबंटन उपरान्त संवीक्षा करा पात्र अभ्यर्थी, प्रवेश न ले कर नियम 9 (दस) को पालित करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय/विद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र, जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्रावीण्यतानुसार पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसिलिंग में पात्र होंगे।

(तेरह):— प्रथम ३०नलाईन काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ३०नलाईन काउंसिलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसिलिंग अथवा अंतिम आबंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी, संस्था में द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की वाध्यता होगी।

(चौदह):— द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया (Mop Up Round) ३०न लाईन/३०फ लाईन प्रत्यक्ष काउंसिलिंग आवश्यकतानुसार की जायेगी।

द्वितीय चरण काउंसिलिंग में नर्सिंग पाठ्यक्रम में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र द्वितीय काउंसिलिंग की निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे।

उक्त निर्धारित तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग करने पर अभ्यर्थी को बॉण्ड की राशि की क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(पन्द्रह):— अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया (Mop-up) प्रत्यक्ष (३०फ-लाईन)/३०न-लाईन होगी, जिसमें राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीटे, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय प्रबंधन नियतांश की रिक्त सीटें सम्मिलित की जाएगी। “अंतिम प्रवेश प्रक्रिया” में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित/अप्रवेशित अभ्यर्थी केवल नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में सीटे आबंटित की गई किन्तु प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे)

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी ही अंतिम आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अधिकार पत्र (Authority Letter) मान्य नहीं किया जायेगा।

अंतिम आवंटन में प्रवेशित छात्र सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे तथा रीट का परित्याग करने हेतु उन्हें नियमानुसार लागू वॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(सोलह):— काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया को किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संरथा की रीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संरथा की रीट आवंटित नहीं की जायेगी।

(सत्रह):— संचालक द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अथवा संचालनालय की वेबसाईट पर सूचना के माध्यम से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट:—सभी पंजीकृत आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन कार्यालय की वेबसाईट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें, चूंकि अंतिम आवंटन प्रक्रिया हेतु सूचना एवं अंतिम आवंटन तिथि हेतु अल्पावधि का समय होता है, अतः समर्त सूचना वेबसाईट के माध्यम से देना ही, अल्प समय में संभव हो पाता है। जिस हेतु आवेदक नियमित प्रतिदिन वेबसाईट का अवलोकन करें।

(अठारह):— पोर्ट वेसिक डिप्लोमा इन वलीनिकल स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों की सीटों में प्रवेश हेतु समर्त चरणों के लिये आवश्यकतानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

(उन्नीस):— काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश, पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाईट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका का भली-भांति अवलोकन कर ही, ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करे, क्योंकि ऑनलाईन आवेदन के अंतिम होने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

(बीस):—(अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :—

- | | |
|---|------------------|
| 1. प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र | (यदि लागू हो तो) |
| 2. प्रवेश परीक्षा अंक सूची | (यदि लागू हो तो) |
| 3. कक्षा 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र | (आयु हेतु) |
| 4. कक्षा 12वीं की अंकसूची | |
| 5. छत्तीसगढ़ राज्य वार्षिक निवासी प्रमाण पत्र | |
| 6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र | (यदि लागू हो तो) |
| 7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो) | |
| 8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट : विकलांग हेतु अवधि एवं जारी करने वाले कार्यालय परिशिष्ट अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है) | |
| | (यदि लागू हो तो) |

(ब) संवीक्षा उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दरतावेज सूची एवं शुल्क:—

1. आवंटन पत्र
2. पाठ्यक्रम छोड़ने का वंध पत्र (ब्रेकेज वॉण्ड) (शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में ही लागू)
3. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)

5. माईग्रेसन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा)
6. गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate) (यदि लागू हो तो)
7. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/झायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)
8. पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो 04 प्रति, जो कि एक ही नियोनिय से बनी हो
9. शुल्क – (एक) शिक्षण शुल्क
(दो) नॉन-गवर्नमेंट शुल्क,

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की रवयं अभिप्रामाणित दो सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक है। अंतिम आवंटन प्रवेश प्रक्रिया में समान दिवस पर आवंटन एवं प्रवेश दिया जाता है तथा महाविद्यालय प्रवेश के समय अभ्यर्थी, उपरोक्त (अ) एवं (ब) दोनों दस्तावेज एवं शुल्क प्रस्तुत करने पर ही पात्र होंगे तथा अंतिम आवंटन में (अ) एवं (ब) के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवंटन पत्र जारी किया जाता है।

(इक्कीस):— काउंसिलिंग के दौरान शासकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की उन्हीं सीटों पर आवंटन किया जायेगा, जिन्हें इंडियन नर्सिंग कॉंसिल/राज्य नर्सिंग कॉंसिल से लागू सत्र के लिए प्रवेश अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो चुकी हो।

(वाईस):— संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मनोनित काउंसिलिंग समिति, आवंटन एवं काउंसिलिंग कार्य हेतु अधिकृत होगी। काउंसिलिंग समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा में समिलित पात्र, प्रावीण्यतानुसार आवंटित अभ्यर्थी ही, स्कूटनी में पात्र होने पर, संस्था में प्रवेश ले सकेंगे।

नोट:— कोई भी संस्था सीधे प्रवेश नहीं ले सकेगी, इस प्रकार के लिये गये प्रवेश अवैध होंगे।

(जिस हेतु निजी संस्था डायरेक्टर, शपथ—पत्र, संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे)

(तेईस):— काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का सभी अभ्यर्थियों/संस्था को पालन करना अनिवार्य होगा, अनुशासनहीनता अथवा काउंसिलिंग प्रक्रिया में वाधा उत्पन्न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों/संस्था को काउंसिलिंग के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिस हेतु अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति के सदस्यों से बहुमत प्राप्त कर ही, अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(चौबीस):— अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतीक्षा/जांच कक्ष/काउंसिलिंग कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(पच्चीस):— ऑनलाईन/ऑफलाईन काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आवंटन पश्चात् निजी/शासकीय संस्था प्रथमतः रक्खूटनी कर, स्कूटनी में पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश देगी तथा प्रवेश पश्चात् जारी ऑनलाईन एडमिशन रिसीप्ट (Online Admission Receipt Generate) प्राप्त करेगी।

जिन अभ्यर्थियों का ऑनलाईन एडमिशन रिसीप्ट (Online Admission Receipt Generate) जारी होगा, वे ही प्रवेशित मान्य होंगे। इसके अभाव में कोई भी दर्शाया हुआ प्रवेश अवैध होगा।

10. आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण।—

(1) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र. 9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित/अंतरित किया जायेगा।

(2) किसी भी श्रेणी के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उक्त मूल श्रेणी के ‘बिना संवर्ग’ में परिवर्तित किया जायेगा।

(3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा, फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्त सीटों को उपरोक्त 10 (1) नियम अनुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप: यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की “सेनिक संवर्ग” की सीट रिक्त रह जाती है, तो प्रथमतः उसके संवर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तित हो कर, वह सीट “विना संवर्ग” की सीट हो जायेगी, इस प्रकार वह सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी की “विना संवर्ग” की सीट में परिवर्तित हो जायेगी।

यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की “विना संवर्ग” की सीट रिक्त रह जाती है, तो उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जायेगा, जिससे वह अनुसूचित जाति के “विना संवर्ग” की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। इससे रप्ट है कि किसी भी “संवर्ग” की सीट पहले “विना संवर्ग” में परिवर्तित होगी, उसके पश्चात ही उसका श्रेणी परिवर्तन नियमतः होगा।

11. **शासकीय नियतांश की सीटों का ओपन (प्रबंधन) नियतांश सीटों में परिवर्तन।—** शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त रह जाती है, तो उन्हें राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
12. **राज्य शासन के अधीन शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंध पत्र (बॉण्ड)।—**

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम शासकीय महाविद्यालय/शासकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 30,000/- (रु. तीस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) का बंध पत्र (बॉण्ड) निष्पादित करना होगा, जो कि निर्धारित प्रवेश तिथि उपरांत पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में उपरोक्त बॉण्ड की राशि देय होगी।

(ब) (1) सेवारत अभ्यर्थियों के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बंधपत्र (बॉण्ड)।—

इन नियमों के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम में यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करता है, तो नियमानुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा:—

अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो वर्ष की अनिवार्य सेवा करना आवश्यक होगा।

अन्यथा अभ्यर्थी से पाठ्यक्रम के दौरान शासन द्वारा अभ्यर्थी के लिए किये गये शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति/वेतन इत्यादि की राशि वसूली अनिवार्य रूप से की जा सकेगी।

(2) सेवारत अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विभाग में लौटना।—

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग में वापस लौटना होगा, चाहे परीक्षा के परिणाम की स्थिति कुछ भी हो अर्थात उत्तीर्ण हों अथवा नहीं। किसी भी में वापस लौटना होगा, चाहे परीक्षा के परिणाम की स्थिति कुछ भी हो अर्थात उत्तीर्ण हों अथवा नहीं। ऐसे सेवारत स्थिति में अध्ययन को जारी रखने के लिए अवधि के विस्तार की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जो इन नियमों के अधीन चयनित हुए हैं एवं जिन्होंने पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है पाठ्यक्रम की अवधि में अध्ययन अवकाश आयुक्त, रसारथ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा पात्रता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा।

13. **प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् नर्सिंग पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र।—** द्वितीय काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि/अंतिम आर्बन्टन के प्रवेश उपरान्त उपरोक्त विवरणिका में उल्लेखित नियमानुसार सीट के परित्याग पर नर्सिंग पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। (केवल शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में लागू होगी) विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट (Medically Unfit) हो जाता है, जिसे राज्य मेडिकल वोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफिट बताया जाता है, तो बंधपत्र (बॉण्ड) राशि में छूट हेतु शासन दी जा सकेगी, जिसका नियमतः प्रकरण बनाकर संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बॉण्ड राशि में छूट हेतु शासन की अनुमति प्राप्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

- 14. प्रवेश रद्द करना।—** यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान रवतः विना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संरक्षण प्रमुख के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यालय संचालक, चिकित्सा शिक्षा में अपील कर सकेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की रिधति में, अपीलीय अधिकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।
- 15. ऑन लाईन/ऑफ लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में रांचालक, चिकित्सा शिक्षा आवश्यक होने पर, अपने विवेकानुसार परिवर्तन हेतु अधिकृत होगे तथा समय-समय पर उनके द्वारा जारी किये गये निर्देश समिति/संरक्षा/अन्य सभी संबंधितों को पालन किया जाना बंधनकारी होगा।**
- 16. केन्द्र शासन द्वारा अथवा राज्य शासन अथवा भारतीय उपचर्या परिषद अथवा राज्य उपचर्या परिषद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।**
- 17. कठिनाइयों का निराकरण।—** इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की रिधति में, राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।
- 18. नियमों की व्याख्या।—** प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा। प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
- 19. संशोधन।—** राज्य शासन इन नियमों में समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।
- 20. प्रावीण्य सूची की समाप्ति।—** उपचर्या परिषद द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटों कालातीत हो जायेगी।
- 21. निरसन।—** इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से “छत्तीसगढ़ के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समरत रीटें तथा निजी नर्सिंग एवं विद्यालयों महाविद्यालयों के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नियम” से संबंधित पूर्व के समरत नियम निरसित हो जाएंगे, तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, संयुक्त सचिव.

“विजनेस पोर्ट के अन्वर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेपण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022 — माघ 13, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं।
अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में :-

नियम-4 के उप-नियम (तीन)–आयु सीमा में निमानुसार संशोधन किया जाता है:-

“(अ) अधिकतम् आयु—भारतीय उपचर्या परिषद्/राज्य उपचर्या परिषद् नियम अधिकतम् आयु 35 वर्ष कर दी गई है। उन पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में कोई अधिकतम् आयु सीमा नहीं होगी।” प्रतिरक्षित किया जाये।

(ब) का लोप किया जाता है।

नोट:- आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।

स्पष्टीकरण :- 1 एवं 2 का लोप किया जाता है।

नियम-4 के उप-नियम (चार) में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायेः—(भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होंगे।)

के रथान पर

“जिन पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक निर्धारित होंगे उन पाठ्यक्रमों के लिए वे निर्देश लागू होंगे” प्रतिरक्षित किया जाये।

नियम-4 के उप-नियम (चार) के पश्चात् निमानुसार नियम जोड़ा जाए:-

(1) “अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अरक्षित श्रेणी (अज. अ.ज.ज.अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु प्रवेश परीक्षा न्यूनतम अर्हताकारी अंक 15% होगा, एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हताकारी अंक 20% होगा”

नियम-4 के उप-नियम (छ):—प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्राचीण्य रूची:-

“प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होगे तथा आरक्षित श्रेणी (अनुरूपित जनजाति, अनुरूपित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा” का लोप किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
री. आर. प्ररान्ना, विशेष सचिव.

भारतीय उपचर्या परिषद्

बाहिलो तल, एनसीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्पूनिटी
सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

फाइल नम्बर 22-10/Mis./2021- आई एन शी ३०८

दिनांक

प्रति,

27 JUL 2022

संचालक चिकित्सा शिक्षा
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सेस हास्पिट, डी०क०एस भवन परिसर रायपुर,
छत्तीसगढ़ ५९२००१
ईमेल- egdme@rediffmail.com / dr.prateekpradhan@gmail.com


विषय: राजपत्र अधिसूचना (gazette notification) 2020 दिनांक 05/07/2021 बी.एस.सी (नर्सिंग)
percentile के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्रांक क्र. /7770/नर्सिंग / संचिशि /2022 दिनांक 25/07/2022 के उपरिलिखित विषय के संदर्भ में
सूचित किया जाता है कि बी.एस.सी (नर्सिंग) में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के नियम और शर्तें एवं न्यूनतम योग्यता
मानदंड इस प्रकार है :

General	50th percentile
SC/ST/OBC	40th percentile
General - PwD	45th percentile
SC/ST/OBC - PwD	40th percentile

इस संबंध में हिंदी संस्करण में भी यही संदर्भ लिया जाए एवं हिंदी संस्करण में टंकण त्रुटि के लिए खेद है।



सर्वजीत कौर

ले० कर्नल (डा०) सर्वजीत कौर
सचिव

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

भारतीय उपचर्या परिषद्

आती तल. एनडीसी सेंटर फ्लॉर नं. 2 नगरिली
सेंटर ऑफिस फ्लॉर-1 नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, SNICC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

राष्ट्रीय एक परिवार कल्याण परिषद के तहत संचालित बिकान
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

File Number : 18-38/Govt./2023-INC

Date : 31-01-2023

प्रति,

संचालक,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सेस हाँस्टन, डी.के.एस. भवन परिसर,
रायपुर, छत्तीसगढ़
Email: egdme@rediffmail.com

विषय:- वर्ष 2023 में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में।

आपके पत्र क्रमांक/806/नर्सिंग/संचिशि/2022, रायपुर दिनांक/24 जनवरी 2023 में मांगी गई जानकारी के संबंध में सूचित किया जाता है कि भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के जनरल बोर्ड/बॉडी की बैठक दिनांक 01 व 02 जुलाई, 2016 में अधिकतम आयु सीमा के लिये पारित निर्णय ही वर्तमान समय में भी प्रचलन में है। भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा हेतु भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के जनरल बोर्ड/बॉडी की बैठक दिनांक 01 व 02 जुलाई, 2016 में अधिकतम आयु सीमा के लिये पारित निर्णय ही वर्तमान में भी मान्य है। जिसकी सत्यापित प्रति की छायाप्रति आपने उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न की है। फिर भी आपके संदर्भ के लिए इसकी नई सत्यापित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-1)

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Lt Col Dr Sarvjeet Kaur
Secretary

Signature Not Verified

Digitally Signed by
Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary (INC)
Date : 01/31/2023
Location : New Delhi

Abstract of GB Meeting held on 1st & 2nd July, 2016

Item No.42:-

Age relaxation for admission to P.B.B.Sc.(N) program

Chairperson apprised the members that a request is received from Mr. Devaraju Juttuka, Male Nurse Age 67 years but there is no upper age limit for the collegiate programmes and NEC members may give their recommendation.

The Executive Committee after much deliberation has recommended minimum and maximum age limit for different category of nursing personnel which is as follows:

Programmes	Minimum Age Limit (Years)	Maximum Age Limit (Years)
ANM	17 years	35 years
GNM	17 years	35 years
B.Sc.(N)	17 years	35 years ✓
PB B.Sc.(N)	No Minimum Age Limit	50 years ✓
M.Sc.(N)	No Minimum Age Limit	50 years ✓

The procedure for admission shall start from the month of July. Admission shall be only once in a year. No Batch/candidate in between shall be admitted.

Further, all the State Nursing Councils and Universities shall have one supplementary examination. After the closer of the admission on 31st October every year, all Universities/Boards shall submit the list of students admitted against each institution to Indian Nursing Council by 15th November every year.

Accordingly, calendar of events by University/SNRC/Examination board shall be shared by Indian Nursing Council. Executive committee recommended that the letters should be sent to the State Nursing Council's and Universities on the above decision. General body members approved the Executive Committee recommendations.

CTC

Blaw

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्पूनिटी
सेन्टर, ओखला फेज - 1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase - I, New Delhi - 110020

स्थारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय

Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No. 1-6/LT/2023-INC

Dated: _____

21 AUG 2023

NOTIFICATION – 11 of 2023

Sub: No upper age limit for Nursing Programs – reg.

It is hereby notified that there will be no maximum/upper age limit for the admission to ANM, GNM, B.Sc.(N), M.Sc.(N), PBB.Sc.(N), Post Basic Diploma and Nurse Practitioner programmes.

This issues with the approval of the Competent Authority.

blaw

(Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur)
Secretary

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Ph. +91 666168000 666168021 66616822